

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी - जीतू कुलहरी, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 52/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अंकित सहारण पुत्र महेन्द्र सिंह सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
2. अंकुश सहारण पुत्र महेन्द्र सिंह सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
3. ज्योति सहारण पत्नी अंकित सहारण पुत्र महेन्द्र सिंह सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
4. प्रियंका रानी पत्नी अंकुश पुत्र महेन्द्र सिंह सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

.... वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल सहारण पुत्र राम सिंह सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. गौरव सहारण पुत्र बनवारीलाल जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
3. विजयलक्ष्मी पत्नी बनवारीलाल सहारण पुत्र रामसिंह सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
4. सुशील कुमार सहारण पुत्र विनोद कुमार सहारण जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
5. रामसिंह सहारण पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट साकिन डूंगरसिंहपुरा तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
6. अमरीक सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ़ तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
7. मेजर सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ़ तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
8. राजवीर सिंह पुत्र लखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गणेशगढ़ तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
9. हीरासिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति तरखान निवासी गणेशगढ़ तहसील वा जिला श्रीगंगानगर ।
10. तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।



५

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)



11. तहसीलदार(राजस्व) सादुलशहर ।
12. आईसीआईसीआई बैंक शाखा गणेशगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक ।
13. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नगरविकास न्याय श्रीगंगानगर जरिये शाखा प्रबन्धक ।
14. बैंक आफ बडौदा शाखा जवाहर नगर श्रीगंगानगर जरिये शाखा प्रबन्धक
15. स्टेट बैंक आफ इण्डिया जरिये शाखा प्रबन्धक डुगरसिंहपुरा

... प्रतिवादीगण

उपस्थित-अधिवक्ता श्री बलराम सुथार (वादी)
अधिवक्ता श्री राकेश कुमार (प्रतिवादी-1 ता 9)
तहसीलदार श्रीगंगानगर (प्रति-10)
तहसीलदार सादुलशहर (प्रतिवादी संख्या 11)
प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

--: निर्णय :-

दिनांक:-14.06.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम तहसील श्रीगंगानगर के चक 26 एलएनपी के खाता सं. 66/52 के मु.नं. 40 की कुल भूमि 2.2770 हैक. में 1/2 हिस्सा वादीया सं. 3 के नाम व 1/2 हिस्सा खरीदशुदा वाके है व चक 27 एलएनपी के खाता सं. 88 के मु.नं. 3 व 4 की कुल 6.327 हैक. में वादीया सं.3 का 1582/6327 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। चक 27 एलएनपी के खाता सं. 2 के मु.नं. 4 की 1.306 हैक्टर भूमि वादी सं. के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है, चक 27 एलएनपी के खाता सं. 113/85 के मु.नं. 4, 7 की 3.162 हैक. में वादी सं.1 के नाम 13/62 हिस्सा व वादी सं. 2 के नाम 393/527 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। तहसील सादुलशहर के चक 20 एसपीएम के खाता सं. 23 मु.नं. 19, 28 की कुल 1.7710 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है एवं चक 20 एसपीएम के खाता सं. 90 के मु.नं. 18 की 2.0240 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है, चक 20 एसपीएम के खाता सं. 156 के मु.नं. 28 की 0.7590 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है, चक 20 एसपीएम के खाता सं. 157 के मु.नं. 28, 18, 29 की 1.0120 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है, चक 20 एसपीएम के खाता सं. 155/97 के मु.नं. 18, 29 की 1.2650 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है, चक 20 एसपीएम के खाता सं. 61 के मु.नं. 20, 27, 19, 28 की कुल 1.7710 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड -वाके है व चक 16 एसपीएम के खाता सं. 80/80 के मु.नं. 21, 22 की कुल 4.0480 हैक. भूमि वादीया सं.4 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है जो हिन्दू विधि के मिताक्षरा स्कुल ऑफ लॉ से शास्त्रित होते है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है। वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घर व पारिवारीक बंटवारा हो चुका है और मुताबिक बंटवारा अनुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काफ्त करते आ रहे है ।

क. चक 20 एसपीएम के. खाता सं. 155/97 के मु.नं. 18, 29 की 1.2650 है. भूमि प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज भूमि घर बंटवारा में वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है।

(४)



ख. चक 20 एसपीएम के खाता सं. 61 के मु.नं. 20, 27, 19, 28 की कुल 1.7710 हैक. भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम में से मु.नं. 19 किला नं. 16, 25 की 0.506 हैक. भूमि वादी सं. 2 को प्राप्त हुई है।

ग. चक 20 एसपीएम के खाता सं. 61 के मु.नं. 20, 27, 19, 28 की कुल 1.7710 हैक. भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम में से मु.नं. 20 किला नं. 21/1, 21/2 की 0.253 हैक., मु.नं. 27 किला नं. 1/1, 1/2, 1/3 की 0.253 हैक., मु.नं. 28 किला नं. 5/1, 5/2 की 0.253 हैक. कुल 0.759 हैक. भूमि वादीया सं. 3 को प्राप्त हुई है।

घ. चक 20 एसपीएम के खाता सं. 23 मु.नं. 28 किला नं. 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 की कुल 0.506 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है जो वादीया सं. 3 को प्राप्त हुई है एवं चक 20 एसपीएम के खाता सं. 90 के मु.नं. 18 की 2.0240 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है जो वादीया सं. 3 को प्राप्त हुई है, चक 20 एसपीएम के खाता सं. 156 के मु.नं. 28 की 0.7590 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है जो वादीया सं. 3 को प्राप्त हुई है, चक 20 एसपीएम के खाता सं. 157 के मु.नं. 28, 18, 29 की 1.0120 हैक. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है जो वादीया सं.3 को प्राप्त हुई है।

ङ. चक 20 एसपीएम के खाता सं. 23 मु.नं. 19 की कुल 1.012 हैक. भूमि प्रतिवादी सं.2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है जो वादीया सं. 4 को प्राप्त हुई है।

च. तहसील श्रीगंगानगर के चक 26 एलएनपी के खाता सं. 66/52 के मु. नं. 40 की कुल भूमि 2.2770 हैक. में 1/2 हिस्सा वादीया सं. 3 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं. 3 को प्राप्त हुई है, चक 16 एसपीएम के खाता सं. 80/80 के मु.नं. 22 किला नं. 14 ता 17 व 21 ता 25 की कुल 2.277 हैक. भूमि वादीया संख्या 4 के नाम है जो प्रतिवादी सं. 3 को प्राप्त हुई है।

छ. चक 27 एलएनपी के खाता सं. 88 के मु.नं. 3 व 4 की कुल 6.327 हैक. में वादीया सं. 3 का 1582/6327 हिस्सा दर्ज है जो कि प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त हुई है, चक 27 एलएनपी के खाता सं. 2 के मु.नं. 4 की 1.306 है. भूमि वादी सं.1 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त हुई है, चक 27 एलएनपी के खाता सं. 113/85 के मु.नं. 4, 7 की 3.162 हैक. में वादी सं. 1 के नाम 13/62 हिस्सा व वादी सं. 2 के नाम 393/527 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त हुई है एवं चक 16 एसपीएम के खाता सं. 80/80 के मु.नं. 21 किला नं. 17, 24, 25/1, 25/2 की 0.759 है., मु.नं. 22 किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 7 की कुल 1.771 है. भूमि वादीया सं. 4 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं. 3 विजयलक्ष्मी को प्राप्त हुई है।

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्स की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है व इसी अनुसार अपना अपना खाता विभाजन करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वे वादीगण को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का वादीगण को खातेदार काप्तकार घोषित करवाते हुए खाता विभाजन करवाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वे 5 रोज पूर्व वे ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 4, 5 के खिलाफ वादीगण को कोई प्रत्यक्ष अनुतोष हांसिल नहीं है परन्तु वह भू धारक है इसलिये उन्हे दावा में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है व प्रतिवादी सं. 6 से 9 जो कि बैंक है



(१)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उसके यहां भूमि रहन होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्ली फरमाया जावे -

- क कि घोषित किया जावे कि वादीगण वाद पत्र की दफा 5 की उपदफा क से छः अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित करते हुए वादीगण का खाता प्रतिवादीगण से तकसीम कर रकम राज अलग कायम किया जावे।
- ख. कि खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
- ग. कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित समझे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से इकबालिया जवाब दावा मय काउंटरक्लेम पेश किया। जिसमे अंकित तथ्यानुसार -

- (क) चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 155 / 97 के मु० नं० 18, 29 की 1.2650 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज भूमि घरू बंटवारा में वादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है।
- (ख) चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 61 के मुरब्बा नं० 20, 27, 19, 23 की कुल 1.7710 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम में से मु० नं० 19 किला नं० 16, 25 की 0.506 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है।
- (ग) चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 61 के मुरब्बा नं० 20, 27, 19, 28 की कुल 1.7710 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम में से मु० नं० 20 किला नं० 21/1, 21/2 की 0.253 हैक्टेयर, मु० नं० 27 किला नं० 1/1, 1/2, 1/3 की 0.253 हैक्टेयर मु० नं० 28 किला नं० 5/1, 5/2 की 0.253 हैक्टेयर कुल 0.759 हैक्टेयर भूमि वादिया संख्या 3 को प्राप्त हुई है।
- (घ) चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 23 मु० नं० 28 किला नं० 2/1, 2/2, 3/1, 3/2 की कुल 0.506 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड वाके है जो वादिया संख्या 3 को प्राप्त हुई हैं एवं चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 90 के मु० नं० 18 की 2.0240 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड वाके है जो वादिया संख्या 3 को प्राप्त हुई है, चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 156 के मु० नं० 28 की 0.7590 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड वाके है जो वादिया संख्या 3 को प्राप्त हुई है, चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 157 के मु० नं० 28, 18, 29 की 1.10120 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज है जो वादिया संख्या 3 को प्राप्त हुई है। चक 20 एसपीएम के खाता संख्या 23 मु० नं० 19 की कुल 1.012 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड वाके है जो वादिया संख्या 4 को प्राप्त हुई है।
- (च) तहसील श्रीगंगानगर के चक 26 एलएनपी के खाता संख्या 66/52 के मु० नं० 40 की कुल भूमि 2.2770 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा वादिया संख्या 3 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त हुई है, चक 16 एसपीएम के खाता संख्या 80/80 के मु० नं० 22 किला नं० 14 ता 17 व 21 ता 25 की कुल 2.277 हैक्टेयर भूमि वादिया संख्या 4 के नाम है जो प्रतिवादी संख्या 3 को प्राप्त हुई है।
- (छ) चक 27 एलएनपी के खाता संख्या 88 के मुरब्बा नं० 3 व 4 की कुल 6.327 हैक्टेयर में वादिया संख्या 3 का 1582/6327 हिस्सा दर्ज है जो कि प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है व चक 27 एलएनपी के खाता संख्या 2 के मु० नं० 4 की 1.306



हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है, चक 27 एलएनपी के खाता संख्या 113/85 के मुरब्बा नं० 4, 7 की 3.162 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 के नाम 13/62 हिस्सा व वादी संख्या 2 के नाम 393/527 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को प्राप्त हुई है। चक 16 एसपीएम के खाता संख्या 80/80 के मु० नं० 21 किला नं० 17, 24, 25/1,25/2 की 0.759 हैक्टेयर मु० नं० 22 किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 की कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि वादिया संख्या 4 के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 3 विजयलक्ष्मी को प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 द्वारा आपसी सहमति से इकबालिया जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र व काउंटरक्लेम स्वीकार किया जावे तो हम प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 की तामील विधिवत होने एवम् प्रतवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 12 ता 15 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार(राजस्व) सादुलशहर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी अंकित सहारण पुत्र महेन्द्र सहारण द्वारा साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में गौरव सहारण पुत्र बनवारीलाल सहारण द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की मुख्य बहस यह रही कि प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति है। एवम् प्रकरण में वाद वादीगण एवं काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 20 एस.पी.एम., पटवार हल्का चौ. चेतारामवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चौ. चेतारामवाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 23/23, जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 20 एस.पी.एम., पटवार हल्का चौ. चेतारामवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चौ. चेतारामवाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 157/97, जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 20 एस.पी.एम., पटवार हल्का चौ. चेतारामवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चौ. चेतारामवाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 90/90, जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 20 एस.पी.एम., पटवार हल्का चौ. चेतारामवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चौ. चेतारामवाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 155/97, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 66/52, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 2/13, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 ग्राम 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 113/85, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 88/65, जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 20 एस.पी.एम., पटवार हल्का चौ. चेतारामवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चौ. चेतारामवाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 61/61, जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 ग्राम 16 एस.पी.एम., पटवार हल्का चौ. चेतारामवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र चौ. चेतारामवाला तहसील सादुलशहर खाता संख्या 80/80 की प्रतियां पेश की गई। वादीगण द्वारा वाद ग्रस्त भूमि के विरास्तन साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी चक 27 एलएनपी पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.नि. नेतेवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 134/56 इंतकाल दिनांक 15.02.1992, जमाबंदी सम्वत् 2006 चक 26 एलएनपी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/76, जमाबंदी संवत् 2052-2055 चक 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ़, भू.अ.क्षे. नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/56, जमाबंदी संवत्



2052-2055 चक 27 एलएनपी, पटवार हल्का गणेशगढ, भू.अ.क्ष. नेतेवाला तहसील व
जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/57 एवम्

जमाबंदी सम्वत् 2029 चक 16 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर खाता संख्या 46, जमाबंदी सम्वत् 2029-2038 चक 16 एसपीएम
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 4/46 एवम्

जमाबंदी सम्वत् 2024-2030 चक 20 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर खाता संख्या 28/14, जमाबंदी सम्वत् 2024-2030 चक 20 एसपीएम
तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 28/14, जमाबंदी सम्वत्
2026-2030 चक 20 एसपीएम तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या
20/14 की प्रतियां पेश की गई। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से वादग्रस्त
आराजी का पैतृक होना साबित होता है एवम् वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड
खातेदार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।
वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति होने से वाद वादीगण एवं
काउंटरक्लेम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता
है। अतः वाद वादीगण एवम् काउंटरक्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश
दिया जाता है कि-

--: आदेश :-

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति के आधार पर वादीगण
एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

- (1) चक 20 एसपीएम के खाता सं. 155/97 के मु.नं. 18, 29 की 1.2650 है.
भूमि प्रतिवादी सं. 3 के नाम दर्ज भूमि का वादी सं. 1 को खातेदार घोषित
किया जाता है।
- (2) चक 20 एसपीएम के खाता सं. 61 के मु.नं. 20, 27, 19, 28 की कुल 1.7710
हैक्. भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम में से मु.नं. 19 किला नं. 16, 25 की 0.506
हैक्टर भूमि का वादी सं. 2 को खातेदार घोषित किया जाता है।
- (3) चक 20 एसपीएम के खाता सं. 61 के मु.नं. 20, 27, 19, 28 की कुल 1.7710
हैक्. भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम में से मु.नं. 20 किला नं. 21/1, 21/2 की
0.253 हैक्., मु.नं. 27 किला नं. 1/1, 1/2, 1/3 की 0.253 हैक्., मु.नं. 28
किला नं. 5/1, 5/2 की 0.253 हैक्. कुल 0.759 हैक्. भूमि का वादीया सं.
3 को खातेदार घोषित किया जाता है।
- (4) चक 20 एसपीएम के खाता सं. 23 मु.नं. 28 किला नं. 2/1, 2/2, 3/1,
3/2 की कुल 0.506 हैक्. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है
जिसका वादीया सं. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है, एवं चक 20
एसपीएम के खाता सं. 90 के मु.नं. 18 की 2.0240 हैक्. भूमि प्रतिवादी सं. 2
के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका वादीया सं. 3 को खातेदार घोषित किया
जाता है,

एवम् चक 20 एसपीएम के खाता सं. 156 के मु.नं. 28 की 0.7590
हैक्. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका वादीया सं. 3 को
खातेदार घोषित किया जाता है एवम् चक 20 एसपीएम के खाता सं. 157 के
मु.नं. 28, 18, 29 की 1.0120 हैक्. भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज है
जिसका वादीया सं. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

- (5) चक 20 एसपीएम के खाता सं. 23 मु.नं. 19 की कुल 1.012 हैक. भूमि प्रतिवादी सं.2 के नाम दर्ज रिकार्ड वाके है जिसका वादीया सं. 4 को खातेदार घोषित किया जाता है।
- (6) तहसील श्रीगंगानगर के चक 26 एलएनपी के खाता सं. 66/52 के मु. नं. 40 की कुल भूमि 2.2770 हैक. में 1/2 हिस्सा वादीया सं. 3 के नाम दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसील सादुलशहर के चक 16 एसपीएम के खाता सं. 80/80 के मु.नं. 22 किला नं. 14 ता 17 व 21 ता 25 की कुल 2.277 हैक्टर भूमि वादीया संख्या 4 के नाम है जिसका प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है।
- (7) चक 27 एलएनपी के खाता सं. 88 के मु.नं. 3 व 4 की कुल 6.327 हैक. में वादीया सं. 3 का 1582/6327 हिस्सा दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार घोषित किया जाता है एवम् चक 27 एलएनपी के खाता सं. 2 के मु. नं. 4 की 1.306 है. भूमि वादी सं.2 के नाम दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार घोषित किया जाता है एवम् चक 27 एलएनपी के खाता सं. 113/85 के मु.नं. 4, 7 की 3.162 हैक. में वादी सं.1 के नाम 13/62 हिस्सा व वादी सं. 2 के नाम 393/527 हिस्सा भूमि है जिसका प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार घोषित किया जाता है एवम्

चक 16 एसपीएम के खाता सं. 80/80 के मु.नं. 21 किला नं. 17, 24, 25/1, 25/2 की 0.759 है., मु.नं. 22 किला नं. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 की कुल 1.771 है. भूमि वादीया सं. 4 के नाम दर्ज है जिसका प्रतिवादी सं. 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रहेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 14.06.2024 को जारी किया गया।



(जीतू कुसहरा)
उपस्थित अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर